न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड)
त्वरित न्यायालय, बुलन्दशहर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –...............
सरकार बनाम कृष्ण शर्मा आदि।

मुकदमा अपराध संख्या– 39/2024
धारा–323, 504, 506 आई.पी.सी.
थाना– ककोड़, जिला बुलन्दशहर।

दिनांक 05.05.2026

मु०अ०सं०-39/2024, सरकार बनाम कृष्ण शर्मा आदि, अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 आई.पी.सी. थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर के प्रकरण में अभियुक्त कृष्ण शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त कृष्ण शर्मा न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। झूठा फंसाया गया है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है। जमानत का विरोध है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उपरोक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 20000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 05.05.2026

(अखिल कुमार)
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
त्वरित न्यायालय, बुलन्दशहर।
जे.ओ.कोड़ यू.पी. 3333

Digitally signed by AKHIL KUMAR
Date: 2026.05.09 11:28:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court